

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16978/2025

Geeta Devi W/o Dharmaram, Aged About 42 Years, R/o Harijan Mohalla, Ward No. 16, Behind Buchi Satti Mata Temple, Reengus Police Station, District Sikar. (At Present Confined At Mahila Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Giriraj P. Sharma
For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

11/02/2026

प्रार्थिया-अभियुक्ता ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना रींगस, जिला-सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 477/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया-अभियुक्ता का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उसके आधिपत्य से 21.81 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक पाउडर/एम.डी. बरामद किया जाना बताया गया है, जो स्मैक/एम.डी. की व्यावसायिक मात्रा से कम है। प्रार्थिया के विरुद्ध पूर्व का इसी प्रकृति का एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, जिसमें व्यवसायिक मात्रा से कम गांजा व स्मैक की बरामदगी अन्य अभियुक्त से होना पाया गया था। प्रार्थिया-अभियुक्ता दिनांक 9.12.2025 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभी मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थिया को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थिया-अभियुक्ता के आधिपत्य से 21.81 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक पाउडर/एम.डी.

बरामद हुआ है। उसके विरुद्ध इसी प्रकृति का एक अन्य प्रकरण पूर्व में दर्ज हुआ है। गंभीर अपराध है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थिया-अभियुक्ता के आधिपत्य से 21.81 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक पाउडर/एम.डी. की बरामदगी हुई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थिया दिनांक 9.12.2025 से अर्थात् 61 दिन से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का जो एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, उसमें मादक पदार्थ अल्प मात्रा से सम्बन्धित है एवं बरामदगी प्रार्थिया-अभियुक्ता से होना नहीं बताया गया है। वर्तमान मामले में अभी आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थिया-अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थिया-अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि वह भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया-अभियुक्ता इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थिया-अभियुक्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगी। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। प्रार्थिया-अभियुक्ता द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J